न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 46/2025

जीसीएमएस नम्बर :: 2025/243

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
1. श्रीमती जशोदा देवी उर्फ जशिया पुत्री चुन्नीलाल उर्फ चुनाजी पत्नी सोनाराम जाति भाट निवासी– मण्डली की ढाणी, रामासिया तहसील व जिला पाली।		1. लालाराम उर्फ ललित पुत्र चुन्नीलाल उर्फ चुनाजी जाति भाट निवासी– उतवण तहसील व जिला पाली।
2. श्रीमती शांति देवी पुत्री चुन्नीलाल उर्फ चुनाजी पत्नी मांगीलाल जाति भाट निवासी– उतवण तहसील व जिला पाली हाल निवासी सुभाष नगर बी पाली।		2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली
3. श्रीमती कन्या देवी पुत्री चुन्नीलाल उर्फ चुनाजी पत्नी पोलाराम जाति भाट निवासी– बाबा रामदेव मंदिर के पास मसूरियां जोधपुर पाली।		

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा

रेस्पो. संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **23.02.2026**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत

नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 19.09.1998 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा वक्त बहस उपस्थित हुये। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा वक्त बहस उपस्थित आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम उतवण, पटवार हल्का बोमादड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खैरवा तहसील पाली के खसरा नम्बर 09 रकबा 3 बीघा व 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नम्बर 169 रकबा 39 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी दोयम स्थित है। उक्त भूमि में अपीलार्थीगण के पिता चुनाराम उर्फ चुनाजी पुत्र सुरताजी जाति भाट का 1/2 हिस्सा था, अपीलार्थी के पिता चुनाराम उर्फ चुनाजी का स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारीगण, विधिक प्रतिनिधिगण अपीलार्थीगण और रेस्पोडेण्ट संख्या एक हुए और इस वादग्रस्त भूमि में हक, हिस्सा, अधिकार अनुसार अपीलार्थीगण और रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का तथा उनकी माता जो कि चुनाराम उर्फ चुनाजी की पत्नी अलुड़ी थी का संयुक्त रूप से कब्जा–काश्त रहा और इस वादग्रस्त भूमि में चुनाराम उर्फ चुनाजी कं 1/2 हिस्से में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्टसंख्या 01 व अलुड़ी का भी प्रत्येक का 1/5 हिस्स हुआ अर्थात खसरा नम्बर 09 व 169 में अपीलार्थीगण एवं अपीलार्थीगण की माता अलुड़ी व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा हुआ। चुनाराम उर्फ चुनाजी की पत्नी अलुड़ी जो कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की माता हैं, उनका भी स्वर्गवास हो गया है उनकी मृत्यु के पश्चात अलुड़ी का 1/5 हिस्सा भी अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 में निहित हो गया अर्थात चुनाराम उर्फ चुनाजी के 1/2 हिस्से में अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। अर्थात खसरा संख्या 9 व 169 में अपीलार्थीगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा निहित हुआ। चुनाराम उर्फ चुनाजी के स्वर्गवास के पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व माता अलुड़ी ने अपीलाथीगण के पिता के फौतेदगी नामान्तरकरण सिर्फ अपने दोनो के नाम करवा दिया। तत्पश्चात एक आम मख्तियारनामा पेमाराम के कहे अनुसार मिश्रीलाल पुत्र अचलाराम सीरवी निवासी सोडावास के पक्ष में निष्पादित किया था। मिश्रीलाल ने उक्त आम मुख्तियारनामें के जरिये सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि का बेचाणनामा पेमाराम के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन करवा लिया है। अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व माता अलुड़ी व पेमाराम और मिश्रीलाल के विरूद्ध एक वाद वास्ते निरस्त किये जाने एवं शुन्य घोषित

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

किये जाने विक्रयविलेख/बेचाननामा एवं आम मुख्तियारनामा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञात्मक आज्ञा का जिला न्यायाधीश महोदय पाली के न्यायालय में दिनांक 11.12.2013 को पेश किया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलार्थीगण और रेस्पोडेण्ट संख्या 01 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसार अपीलार्थीगण और रेस्पोडेण्ट संख्या एक अपने पूर्वज चुनाराम उर्फ चुनाजी के प्रथम श्रेणी के वारिस उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि है। चुनाराम उर्फ चुनाजी के फौत होने पर अपीलार्थीगण और रेस्पोडेण्ट संख्या एक और माता अलुड़ी के नाम पारित होना चाहिए था, जो पारित नहीं करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है। चुनाराम उर्फ चुनाजी के फौत होने पर उनके वारिसान में और उनके उत्तराधिकारियों में सिर्फ रेस्पोडेण्ट संख्या एक एवं माता अलुड़ी को होना बताकर जो अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करवाया गया है वह विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध पारित करवाया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 1989 RRD 45, 2007 RRD 672, 1994 RRD 215, 2002 RRD 111, 1994 RRD 606, 1996 RRD 79, 2006 RRD 20, 2006 RRD 837, 2013 (2) RRT 1284, 2023 INSC 783, 1998 SCC 123, 1998 RRD 465 न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किये।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद एवं तकनीकी आधारों के बिन्दु पर विवेचन करना उचित समझते है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने उक्त संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों की निम्न न्यायिक नजीरे प्रस्तुत की :–

1. 1989 RRD 45 :- Rajasthan Land Revenue Act, Section 75 - Order which is void ab initio can be challanged at any time - Appeal filed after more than 18 years but immediately after knowledge, is not barred.
2. 2002 RRD 111 :- Rajasthan Land Revenue Act, Section 135 - Revision against order of Addl. Divisional Commissioner - Held, Gram Panchayat attested the mutaion without hearing the petitioner - Appeal filed after 16

जिला कलेक्टर, पाली

years on the ground of knowledge when settlement word started on 09.03.1992 - Applied for copy of mutation order on same day - Copy receieved on 18.04.1992 - Appeal filed within limitation - Delay condoned and order of Addl. Divisional Commissioner set aside - Case remanded to Gram Panchayat with directions.

जैर अपील में पेशशुदा अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत ग्राम उतवण के विवादित नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 19.09.1998 के विरूद्ध यह जैर अपील दिनांक 26.12.2025 को प्रस्तुत की गई है, अर्थात् लगभग 28 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब के उपरान्त। प्रकरण से यह भी परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी ने उक्त नामान्तरकरण के आधार पर निष्पादित विक्रय–विलेख के विरूद्ध वर्ष 2013 में माननीय न्यायालय, जिला न्यायाधीश, पाली के समक्ष निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक आज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलार्थी ने अपने अपील मीमो के पैरा संख्या 05 में स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि उसे जैर नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2012–13 में ही हो चुकी थी तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर बेचान भी हो चुका था। इस प्रकार यह सिद्ध है कि अपीलार्थी को कम से कम 12 वर्ष पूर्व से उक्त नामान्तरकरण की सचेष्ट जानकारी थी। नामान्तरकरण की कार्रवाई स्वभावतः सरसरी, फौरी एवं वित्तीय प्रकृत्ति की होती है तथा स्वत्व संबंधी विवाद माननीय दीवानी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः इस स्तर पर जैर नामान्तरकरण को अवैध, कूट या फर्जी घोषित करना न्यायसंगत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा विलम्ब के कण्डोन हेतु कोई संतोषजनक, विधिसम्मत एवं पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्ट स्वयं द्वारा ऊपर वर्णित विभिन्न न्यायालयों की न्यायिक नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आदेश की जानकारी के पश्चात नियत अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए, परन्तु वर्तमान प्रकरण में 12 वर्ष की सचेष्ट जानकारी के उपरान्त भी अपील प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विलम्ब कण्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतएव अपीलाण्ट द्वारा वर्णित कथनों एवं उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत मियाद को कण्डोन किए जाने के कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक आधार जबकि मियाद करीब 12 वर्ष की सचेष्ट जानकारी की है, उसे कण्डोन किया जाना उचित नहीं समझते।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

जैर प्रकरण में एक और आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आता है कि अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय, जिला न्यायाधीश पाली के समक्ष जो बेचान निरस्ती का वाद वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया है उसमें लालाराम जो कि अपीलाण्ट के भाई है व उसके क्रेतागण पेमाराम को भी पक्षकार बनाया गया है जबकि जैर अपील तथ्यों में सदाशयता के विरूद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मात्र लालाराम को ही पक्षकार बनाया है। अपीलाण्ट जिन रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध अनुतोष प्राप्त करना चाहते है वे जैर आराजी के वर्तमान में खातेदार ही नहीं है, न ही अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा जैर आराजी के वर्तमान खातेदारों को हस्तगत प्रकरण में पक्षकार संयोजित करने के संबंध में कोई प्रार्थना–पत्र अथवा वक्त बहस कोई तथ्य पेश किये, अर्थात् अधिवक्ता अपीलाण्ट मिथ्या अभिवचनों के आधार पर जैर आराजी के संबंध में अनुतोष प्राप्त करने हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं आये है।

अतः न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से अपील पेश नहीं करने, मियाद कण्डोन करने के लिए औचित्यपूर्ण एवं पर्याप्त आधार नहीं लिये जाने व अनावश्यक वाद बाहुल्य सृजित करने के उद्देश्य से तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत ग्राम उतवण के विवादित नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 19.09.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत जैर अपील बेरून मियाद होने से खारिज की जाती है एवं साथ ही अपीलाण्ट को यह परामर्श दिया जाता है कि वे अपने हक–अधिकारों के लिए उचित समझे जाने पर घोषणात्मक राहत प्राप्त कर सकते है ताकि सभी विवादों का विधिवत निस्तारण हो सके।

निर्णय आज दिनांक **23.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली